भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

दाखिल खारिज वाद सं0–03/2015–16

भविश वास्की

बनाम्

करवारी हाँसदा वगै0

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अपीलकर्त्ता श्री भविश वास्की, पिता–स्व0 बाबूराम वास्की, ग्राम–बिसाहा, अंचल–पथरगामा जिला–गोड्डा ने अंचल अधिकारी, पथरगामा के नामान्तरण वाद सं0–11/2010–11 अन्तर्गत दिनांक–18.08.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

प्रसांगिक भूमि मौजा–बिसाहा थाना नं0–255, जमाबंदी नं0–94, दाग नं0–498 रकवा–02–11–10 धुर भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है।

संबंधित नामांतरण वाद सं0–11/2010–11 आवेदक– करवारी हाँसदा वगैरह, साकिन– बिसाहा का अभिलेख अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रसांगिक भूमि की जमाबंदी सर्वे पर्चा में खतियानी रैयत का नाम रामजीत मुर्मू वल्द कान्हु मुर्मू वो मंझिया बास्की वल्द चंदराय बास्की, कौम–संथाल दर्ज है। करवारी हाँसदा वगैरह रामजीत मुर्मू के नाती लगते है। प्रासंगिक भूमि आवेदकगण के माता को श्रीमान् द्वितीय अवर जिला न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय से अपील नं0–81/1976, 23/1986, 13/1992 दिनांक–18.12.1992 को डिग्री से मिलने का दावा है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त दाग के भूमि में शांतिपूर्ण ढंग से जोत–आवाद एवं दखल–कब्जा में है।

प्रथम पक्ष भविश बास्की के द्वारा बतलाया गया कि जमाबंदी नं0–94 रामजीत मुर्मू वल्द–कान्हु मुर्मू व मझिया वास्की वल्द चन्द्रराय वास्की दर्ज है। प्रथम पक्ष मझिया वास्की के पुत्र बाबूलाल वास्की के पुत्र है। पूर्व में आवेदक के पूर्वज एवं विपक्षी के पूर्वजों के बीच टाईटल सूट नं0–24/1966 चला था, जिसमें आवेदक के पूर्वजों के पक्ष में आदेश हुआ था। उक्त टाईटल सूट वाद में विवादित भूमि का दखल नहीं दिया गया।

अंचल अधिकारी, पथरगामा द्वारा रामजीत मुर्मू एवं मझिया वास्की दोनों की जमीन का दाखिल–खारिज द्वितीय पक्ष को कर दिया गया है जबकि उनका भी इसमें आधा हक है, जिसपर उनका जोत–आवाद है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा बतलाया गया कि श्रीमान् द्वितीय अवर जिला न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय से अपील नं0– 81/1976, 23/1986, 13/1992 में रामजीत मुर्मू की पत्नी रानी बेसरा थी एवं उनकी पुत्री आंछी मुर्मू थी जिनकी शादी घर जमाई के रूप में हुई थी। दाखिल खारिज में करवारी हाँसदा वगै0 आंछी मुर्मू के पुत्र है। मझिया बास्की की माँ को रामजीत मुर्मू की पत्नी नहीं माना गया था। ऐसी परिस्थिति में मझिया वास्की के वंशजों का कोई हक नहीं बनता है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खतियान के अन्तर्गत (1) रामजीत मुर्मू वल्द कान्हु मुर्मू एवं (2) मंझिया बास्की वल्द चंदराय बास्की का अलग–अलग बराबर–बराबर हिस्सा है।

मंझिया बास्की के हिस्से की भूमि पर करवारी हाँसदा वगैरह का दाखिल खारिज उचित नहीं है।

रामजीत मुर्मू के हिस्से की भूमि को दाखिल खारिज किये जाने में प्रथम पक्ष को आपत्ति नहीं है।

द्वितीय पक्ष के नाम से अंचल अधिकारी, पथरगामा के वाद सं0–11/2010–11 अन्तर्गत दिनांक–18/08/2010 को पारित आदेश में संपूर्ण भूमि को दाखिल खारिज किया जाना उचित नहीं है।

उक्त पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

द्वितीय पक्ष रामजीत मुर्मू के हिस्से की भूमि के दाखिल खारिज हेतु अंचल अधिकारी, पथरगामा के यहाँ आवेदन कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।